

संख्या-10/20/2006-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: २ | सितम्बर, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रकटन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कई ऐसे आवेदन प्राप्त होते हैं जिनमें कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए.सी.आर.) की प्रतियां प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत ए.सी.आर. के प्रकटन से संबंधित मामले की विधि कार्य विभाग के परामर्श से जाँच की गई है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) में यह व्यवस्था है कि किसी भी नागरिक को ऐसी जानकारी प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो और जिसके प्रकटन का किसी सार्वजनिक कार्य-कलाप अथवा हित से कोई संबंध नहीं हो, अथवा जो व्यक्ति की गोपनीयता को अवांछित रूप से भंग करे, वशर्त जन सूचना अधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी जो भी स्थिति हो, इस आत से संतुष्ट हो कि व्यापक जनहित ऐसी सूचना के प्रकटन को न्यायोचित ठहराता है। केसी भी ए.सी.आर. में रिपोर्ट किए गए अधिकारी के चरित्र, क्षमता और अन्य गुणों से संबंधित जानकारी होती है जिसके किसी अन्य व्यक्ति को प्रकटन से व्यक्ति की गोपनीयता की अवांछित हमला होता है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, जैसा कि नाम से ही पष्ट है, एक गोपनीय दस्तावेज है। कार्यालय गुप्त अधिनियम, 1923 का सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा पूर्णतया अधिक्रमण नहीं हुआ है। अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा लोक प्राधिकारी को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वह किसी अधिकारी की कार्यालय गोपनीय रिपोर्ट का प्रकटन सम्बद्ध अधिकारी को अथवा किसी अन्य आवेदक को करें।

3. इस्तुक चर्ना से माण है कि लोक प्राधिकारी किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) द्वारा संरक्षित है; और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एक गोपनीय दस्तावेज़ है जिसके प्रकटन को कार्यालय गोपनीय अधिनियम, 1923 द्वारा संरक्षित किया गया है तथापि, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है लोक प्राधिकारी को किसी कर्मचारी की ए.सी.आर. को स्वयं कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को प्रकटन का विशेषाधिकार है, यदि लोक प्राधिकारी संतुष्ट है कि प्रकटन में जनहित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा महसूस किया जाता है कि किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन में जनहित संरक्षित हित से अधिक महत्वपूर्ण है तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लिया जाना चाहिए। इस मामले में सक्षम प्राधिकारी का चयन संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

दूरभाष-23092158

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग//लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6. सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग।